(ख) क्या राज्य सरकार ने इन पदों को भरने के लिए अपनी अनुशंसा भेज दी है, यदि हां तो इन्हें कब भेजा गया तथा उन पर कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन रिक्तियों को भरने में होने वाले विलम्ब के कारण क्या हैं तथा इन्हें कब तक भरे जाने की सम्भावना है ?

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्)**: (क) 30-4-92 को, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीशों के 4 पद और अपर न्यायाधीशों के 4 पद रिक्त थे।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों और अपर न्यायाधीशों के रिक्त पद भरे जाने के संबंध में, मुख्य न्यायमूर्ति और मध्य प्रदेश के प्राधिकारियों से 28-1-92 को सिफारिशें प्राप्त हुई थीं। इन सिफारिशों पर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से कार्यवाही की गई है। तथापि, यह बताना संभव नहीं है कि कब तक इस विषय में अंतिम विनिश्चय हो जाएगा।

**उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में दस वर्षों से अधिक अवधि से लंबित मामले**

583. **श्री राघव जी** : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री 9 मार्च, 1992 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न सं० 1676 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि उच्चतम न्यायालय तथा देश के उच्च न्यायालयों में ऐसे कितने मामले हैं जो पिछले दस वर्ष से अधिक समय से लंबित पड़े हैं ?

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्)** : उच्च न्यायालयों की बाबत जानकारी संलग्न विवरण में प्रस्तुत है। (नीचे देखिए) जहां तक उच्चतम न्यायालय का संबंध है, जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

**विवरण**

उच्च न्यायालयों में 10 वर्ष से अधिक समय से लम्बित मामलों की संख्या

| क्रम सं० | उच्च न्यायालय का नाम | 10 वर्ष से अधिक समय से लम्बित मामले | निम्नलिखित तारीख को |
|---|---|---|---|
| 1 | इलाहाबाद | 42674 | 31-12-90 |
| 2 | आन्ध्र प्रदेश | 125 | 31-12-90 |
| 3 | मुंबई | 10383 | 30-06-91 |
| 4 | कलकत्ता | 31165 | 31-12-90 |
| 5 | दिल्ली | 13606 | 31-12-91 |
| 6 | गुवाहाटी | 139 | 30-06-91 |
| 7 | गुजरात | 4216 | 30-06-91 |
| 8 | हिमाचल प्रदेश | 728 | 30-06-90 |
| 9 | जम्मू-कश्मीर | 1178 | 31-12-90 |
| 10 | कर्नाटक | 439 | 30-06-91 |

**विवरण—जारी**

| क्रम सं० | उच्च न्यायालय का नाम | 10 वर्ष से अधिक समय से लम्बित मामले | निम्नलिखित तारीख को |
|---|---|---|---|
| 11 | केरल | 95 | 31-12-91 |
| 12 | मध्य प्रदेश | 1213 | 31-12-91 |
| 13 | मद्रास | 862 | 30-06-91 |
| 14 | उड़ीसा | 823 | 30-06-91 |
| 15 | पटना | 4536 | 31-12-90 |
| 16 | पंजाब और हरियाणा | 5038 | 31-12-91 |
| 17 | राजस्थान | 4065 | 30-06-91 |
| 18 | सिक्किम | शून्य | 31-12-91 |

**न्यायाधीशों के भत्तों में वृद्धि**

584. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**

**सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :**

क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री 9 मार्च, 1992 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 1678 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को भत्तों और अन्य सुविधाओं में वृद्धि संबंधी सुविधाएं किस तारीख से अनुज्ञेय होंगे; और

(ख) इस वृद्धि के परिणामस्वरूप कितना अतिरिक्त व्यय होगा ?

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्)** : (क) उन तारीखों का ब्यौरा निम्नलिखित है जिनसे सुविधाएं बढ़ाई गई । नई सुविधाएं प्रदान की गई हैं :—

| | बढ़ाई गई सुविधा का नाम | प्रारम्भ की तारीख |
|---|---|---|
| 1. | दैनिक भत्ता | 4-12-91 (उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के न्यायाधीशों के लिये) |
| 2. | सरकारी आवासों पर निःशुल्क मुसज्जा की सीमा | 25-11-91 (उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए) |
| | | 4-12-91 (उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए) |
| 3. | सरकारी आवासों पर विद्युत और जल प्रभारों के लिए अधिकतम सीमा | 25-11-91 (उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए) |